न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 36 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024 / 147

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

गीता शर्मा पुत्री श्री खीमाराम पत्नी श्री नरसिंह शर्मा, जाति सुथार, निवासी बस्सी तहसील रोहट जिला पाली (राज.) हाल निवासी बिठू तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

1. बाबूलाल पुत्र श्री खीमाराम के कायम मुकाम
   1.1. जमना पत्नी बाबूलाल
   1.2. जयन्तीलाल पुत्र बाबूलाल
   1.3. दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल
   1.4. नरपतलाल पुत्र बाबूलाल
2. मोहनलाल पुत्र श्री खीमाराम के कायम मुकाम
   2.1. अम्बा देवी पत्नी श्री मोहनलाल
   2.2. सुखीदेवी पुत्री श्री मोहनलाल
   2.3. तीजा देवी पुत्री श्री मोहनलाल
   2.4. ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल
   2.5. रमेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल
3. नारायणलाल पुत्र श्री खीमाराम
4. मलीया देवी पुत्री श्री खीमाराम
5. लीला देवी पुत्री श्री खीमाराम
   तमाम जातिगण सुथार, निवासीगण बस्सी तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भेराराम परिहार
रेस्पो. संख्या 03 एवं रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश सिंह

जिला कलेक्टर, पाली

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक :— **21.10.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 08.06.2015 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। वक्त बहस अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित एवं भेराराम परिहार उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश सिंह वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। रेस्पो. संख्या 1.1 से रेस्पो. संख्या 1.4 व रेस्पो. संख्या 2.3 से रेस्पो. संख्या 2.5 पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अनापत्ति प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पो. संख्या 2.1, रेस्पो. संख्या 2.2, रेस्पो. संख्या

Scanned with ACE Scanner

04 बाद तामिल वक्त बहस न्यायालय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद अनुपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बस्सी पटवार हल्का बींजा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वायद, तहसील रोहट जिला के खसरा संख्या 102, खसरा संख्या 144 व खसरा संख्या 92 कुल खसरान् 03 कुल रकबा 17.2234 हैक्टेयर आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त होने से तहसीलदार रोहट द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 08.06.2015 स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलाण्ट का सही नाम "गीता शर्मा" के स्थान पर "गट्टू देवी" गलत दर्ज कर दिया जिससे जैर नामान्तरकरण इस हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश सिंह व रेस्पो. संख्या 1.1 से रेस्पो. संख्या 1.4 व रेस्पो. संख्या 2.3 से रेस्पो. संख्या 2.5 पूर्व में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कथन किया कि जैर नामान्तरकरण में गट्टू देवी के स्थान पर गीता शर्मा दर्ज करे तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उस का वास्तविक नाम गीता शर्मा है जबकि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट का नाम गीता शर्मा के स्थान पर गट्टू देवी दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज, रेकर्ड व साक्ष्य तथा रेस्पो. के जवाब से स्पष्ट रूप से अपीलाण्ट का उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेज यथा आधार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आयकर विभाग, जन आधार आदि अनुसार अपीलाण्ट के नाम संशोधन संबंधित नव नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रोहट को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **21.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner